न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर 146/2024 | तारीख रजू 10.12.2024 | तारीख निर्णय 30.5.2025

1. अमित मंगल पुत्र गिरधारीलाल, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी
2. अशोक कुमार मंगल पुत्र गिरधारीलाल, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर
3. आशीषकुमार पुत्र जगदीश प्रसाद अग्रवाल,महाजन नि0मूर्तिमोहल्ला गंगापुर
4. गोपाल लाल अग्रवाल पुत्र मुरारीलाल, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर
5. त्रिलोकचन्द पुत्र मुरारीलाल, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी
6. पुरूषोत्तम पुत्र बद्रीप्रसाद, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी
7. भगवान सहाय पुत्र बद्रीप्रसाद, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी
8. मणीशंकर पुत्र हाबूलाल, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी
9. मनोज कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर
10. मोहनलाल पुत्र घूडमल, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी
11. राजेश कुमार अग्रवाल पुत्र रामसहाय, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर
12. विष्णु कुमार पुत्र मुरारीलाल, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी
13. शिवकुमार पुत्र जगदीश प्रसाद अग्रवाल,महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर
14. संजय अग्रवाल पुत्र रामसहाय, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी
15. सुनील कुमार उर्फ अनिल कुमार मंगल पुत्र गिरधारीलाल, महाजन निवासी मूर्ति मोहल्ला, गंगापुर सिटी
16. सीताराम पुत्र बदरीप्रसाद, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी
17. मुकेश पुत्र छाजूलाल, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी
18. वासुदेव पुत्र छाजूलाल, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी
19. शिम्भूदयाल पुत्र छाजूलाल,महाजन नि0मूर्ति मोहल्ला गंगापुर ——वादीगण

बनाम

1. विकास गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश, महाजन निवासी दयाल नगर,एम0बी0एम0 स्कूल के पास, गंगापुर सिटी
2. पुष्पा देवी पत्नि स्व0 ओमप्रकाश गुप्ता, महाजन निवासी दयाल नगर, गंगापुरसिटी
3. पूजा गुप्ता पुत्री ओमप्रकाश पत्नि [illegible] महाजन निवासी दयाल नगर, गंगापुर सिटी
4. मनीष कुमार पुत्र ओमप्रकाश, महाजन निवासी दयाल नगर, गंगापुर सिटी
5. लक्ष्मी गोयल पुत्री ओमप्रकाश पत्नि गिर्राज प्रसाद गोयल, महाजन निवासी दयाल नगर, गंगापुर सिटी
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत् भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested

धिकारी
(राज0)

उपस्थित :—श्री विकास कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से
श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादपत्र वादीगण ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 27 रकबा 1.19 है0, खसरा नम्बर 27/342 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह ग्राम महूखुर्द तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है। उक्त आराजी में वादी संख्या 1 का हिस्सा 9/200, वादी संख्या 2 का हिस्सा 9/200, वादी संख्या 3 का हिस्सा 9/200, वादी संख्या 4 का हिस्सा 1/15, वादी संख्या 5 का हिस्सा 1/15, वादी संख्या 6 का हिस्सा 3/50, वादी संख्या 7 का हिस्सा 3/50, वादी संख्या 8 का हिस्सा 9/200, वादी संख्या 9 का हिस्सा 9/200, वादी संख्या 10 का हिस्सा 9/200, वादी संख्या 11 का हिस्सा 11/200, वादी संख्या 12 का हिस्सा 1/15, वादी संख्या 13 का हिस्सा 9/200, वादी संख्या 14 का हिस्सा 11/200, वादी संख्या 15 का हिस्सा 9/200, वादी संख्या 16 का हिस्सा 3/50 रहा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी संख्या 17 लगायत 19 प्रत्येक का हिस्सा 3/80 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का प्रत्येक का हिस्सा 3/400 दर्ज रहा है। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के पूर्वजों के समय से शामलाती अविभाजित चली आ रही है तथा सुविधा अनुसार पक्षकारान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज अपने हिस्से अनुसार सम्मलित रूप से उक्त भूमि की सार संभाल व काश्त करते चले आ रहे हैं। अब पक्षकारान के परिवार बडे हो गए हैं तथा उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में आये दिन मनमुटाव होता रहता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 वादीगण को उनके हिस्से की भूमि की सार संभाल व काश्त नहीं करने देते हैं एवं व्यवधान पैदा करते हैं जबकि उपरोक्त वर्णित भूमि में वादीगण का करीब सवा छियानवे प्रतिशत हिस्सा है तथा शेष पौने चार प्रतिशत हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का है लेकिन इसके बाद भी वे अधिक हिस्से की भूमि की मांग करते हैं। वादी संख्या 5 जितेन्द्र व वादी संख्या 9 मनोज दिनांक 26.11.2024 को उपरोक्त भूमि की सार संभाल कर रहे थे तो प्रतिवादीगण मौके पर आ गए और कहने लगे कि हम तुम्हें उक्त भूमि की सार संभाल नहीं करने देंगे तथा व्यवधान पैदा करने लगे। इस पर वादी संख्या 5 व 9 ने प्रतिवादीगण से तहसील में चलकर आपसी सहमति से भूमि का विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested

कराने हेतु कहा परन्तु प्रतिवादीगण ने मना कर दिया एवं कहा कि हम ना तो भूमि का विभाजन करायेंगे ना ही तुम्हें तुम्हारे अनुसार भूमि को काश्त करने देंगे। भूमि अब आबादी के नजदीक आ गई है इसलिए प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति आ गई है। प्रतिवादीगण की उपरोक्त हरकतों को देखते हुए वादीगण अब उपरोक्त भूमि को शामिल में रखना नहीं चाहते हैं। इस कारण विभाजन का दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 1.19 है0, खसरा नम्बर 27/342 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन चाह ग्राम महूखुर्द तहसील गंगापुर सिटी का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में वादीगण का हिस्सा पृथक किया जावे। बाद विभाजन उपरोक्त वर्णित आराजियात वादीगण के दर्ज हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने के लिए प्रतिवादीगण को पाबंद फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3, 5 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अतः प्रतिवादी संख्या 3, 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है। इसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 16.8.2023 अविधिक रूप से पारित किए गए आदेश से किए गए हैं जिसके सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी में अपील विचाराधीन है। वादीगण का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। उक्त इन्द्राज के बाबत् सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत है, जब तक उक्त अपील का निस्तारण नहीं होता है तब तक उक्त इन्द्राज का कानूनन कोई महत्व नहीं है। वादीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है। भूमि कभी शामलाती नहीं रही है। वादीगण द्वारा गलत तरीके से फर्जी दस्तावेजों की रचना कर न्यायालय से तथ्यों को छिपाकर गलत आधार पर दावा डिक्री करवाया। उक्त निर्णय व डिक्री के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में अपील विचाराधीन है, अपील के लम्बित रहते उक्त दावा संचालित किए जाने योग्य नहीं है। दिनांक 26.11.2024 की बातें मनगढन्त व बनावटी है। वादीगण ने गलत आधार पर दावा प्रस्तुत किया है। इस दिन वादीगण को कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ है। जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पारित आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 16.8.2023 के विरूद्ध मनीष बनाम गोपाल अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहां विचाराधीन है। अपील के विचाराधीन रहने तक दावा कानूनन संचलन योग्य नहीं है। वादीगण द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दावा डिक्री करवाया गया था जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी माननीय न्यायालय को नहीं था किन्तु उसके पश्चात् भी दावा डिक्री किया गया जिसके सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में अपील विचाराधीन है। यदि अपीलीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाता है तो उक्त दावे व दावे में पारित किसी भी आदेश का कानूनन कोई औचित्य नहीं रह जावेगा। इस कारण दावा संचलन योग्य नहीं है। अपील लम्बित होने से मामला प्रीज्यूडिस है इस कारण दावा कानूनन संचलन योग्य नहीं है। वादीगण द्वारा सभी पक्षकारान को दावे में पक्षकार बनाए बिना दावा प्रस्तुत किया है जबकि अपील में दावे के अतिरिक्त भी कई पक्षकार संयोजित है जो दावे में आवश्यक पक्षकार है इस कारण आवश्यक पक्षकार की अनुपस्थिति में दावा वादी खारिज किए जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, उक्त भूमि पर जबाबदारान का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है बल्कि कब्जा जबाबदारान का रहा है। वादीगण गलत नामान्तरकरण के आधार पर जबाबदारान को उनके कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है, जिसके लिए उन्होने जबाबदारान को दिनांक 20.2.2025 को धमकी दी कि भूमि हमने हमारे नाम करवा ली है व जल्द ही हम इस भूमि का बंटवारा करवाकर तुझे भूमि से बेदखल कर देंगे व भूमि पर कब्जा कर लेंगे। वादीगण का भूमि पर कोई कब्जा नहीं है इस कारण कब्जे के अभाव में दावा वादीगण खारिज किए जाने योग्य है। दावा वादीगण धारा 10 सी0पी0सी0 से बाधित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। वादीगण का भूमि पर कब्जा नहीं है इस कारण वादीगण का भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा कानूनन संचलन योग्य नहीं है, वादीगण को बेदखली का वाद लाना चाहिए था। [illegible] परफोर्म में नही होने से खारिज होने योग्य है। अतः काउन्टर क[illegible]तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज किया जाकर [illegible] विरूद्ध वादीगण इस आशय का डिक्री किया जावे कि वे [illegible]क्लेकर्ता को भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 1.19 है0, खसरा नम्बर 27/34[illegible] रकबा 0.01 है0 कुल रकबा 1.20 है0 ग्राम महूखुर्द के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा न तो स्वयं पैदा करे ना ही किसी अन्य से करावे व काउन्टरक्लेमकर्ता को भूमि से बेदखल नहीं करे व ऐसा कोई कार्य नहीं करे

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested

जिससे काउन्टरक्लेमकर्ता को भूमि के उपयोग उपभोग में किसी बाधा का सामना करना पड़े।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 के काउन्टर क्लेम के जबाव में वादीगण ने अंकित किया है कि माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.8.2023 के सम्बन्ध में गलत कथन किए गए हैं। पूर्व में विचाराधीन मुकदमा संख्या 490/97 व 234/85 को माननीय न्यायालय द्वारा कन्सोलीडेट कर दिनांक 16.8.2023 को बरूए राजीनामा निर्णित किया है। उपरोक्त प्रकरण में पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से दिनांक 1.2.2021 को राजीनामा किया था। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को निर्णित करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष ही उक्त निर्णय को विवादित बताना पूर्णरूप से विधिक सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.8.2023 की किसी प्रकार की कोई अपील किसी न्यायालय में नहीं की गई है। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई है उसमें किसी प्रकार का स्थगन आदेश आज तक न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है। केवल अपील कर देने मात्र से न्यायालय की कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.8.2023 को जो निर्णय पारित किया है वह पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर विचार करने के उपरान्त ही पारित किया गया है। वादीगण का उक्त भूमि में सवा छियानवे प्रतिशत हिस्सा है। वादीगण नियमानुसार अपना हिस्सा अलग करवाना चाहते हैं। सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादीगण ने उनके कब्जे के बाबत् गलत तथ्य अंकित किए हैं। वादीगण को भूमि विभाजन कराने का अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण अनावश्यक प्रकार से प्रकरण की कार्यवाही को विलम्बित करना चाह रहे हैं। इसी साजिश के तहत प्रतिवादीगण ने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है। विधिक व तथ्यात्मक भूल से वादीगण का दावा इसी स्टेज पर [illegible] डिक्री किए जाने योग्य है एवं प्रकरण में बंटवारा स्कीम मंगाई जा[illegible]ोचित है। अतः जबाबुल जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का काउन्टर क्लेम मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा वादीगण का दावा मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 4 ने जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है। इसमें प्रतिवादी संख्या 4 ने अंकित किया है कि वादीगण ने वादग्रस्त भूमि में जिस प्रकार अपना हिस्सा व जबाबदार का हिस्सा दर्ज किया है वह अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.8.2023 के आधार पर दर्ज किया है

अर्थात दावे में दर्ज भूमि में पक्षकारान के हिस्से अभी विवादित है तथा अपील के विचाराधीन रहते हुए भूमि का विभाजन अवैधानिक है, न्यायिक सिद्धान्तों की अवहेलना है। जिस निर्णय के आधार पर हिस्से दर्ज हुए हैं वह अभी विवादित है एवं निर्णय के विरूद्ध अपील विचाराधीन है। वादीगण निर्णय दिनांक 16.8.2023 के आधार पर दर्ज किए गए विवादित हिस्से के अनुसार विभाजन करवा कर जबाबदार को उसके हिस्से व कब्जे की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। वादीगण दौराने अपील विवादित भूमि को भूमाफियाओं को विक्रय कर भूमि को आबादी भूमि के रूप में परिवर्तित कर जबाबदार को उसके हिस्से व कब्जे से महरनम रखना चाहते हैं। इसलिए जबाबदार वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है कि वह जबाबदार को दौराने अपील विवादित भूमि के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे ना ही किसी दीगर से करावे, भूमि को दौराने अपील रहन, वय नहीं करे। दिनांक 26.11.2024 को वादीगण को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है क्योंकि उक्त भूमि पिछले लगातार 20–25 वर्षो से खाली पडी हुई है इसलिए मौके पर भूमि पर कब्जे काश्त को लेकर संभालने जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता व भूमि अभी विवादित है। जिसके बाबत् आर0ए0ए0 सवाईमाधोपुर में मनीष कुमार बनाम गोपाल वगैरा के नाम से विचाराधीन है इसलिए दौराने अपील वादकारण उत्पन्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दावा वादकारण के अभाव में निरस्त होने योग्य है। वादकारण वादीगण को उत्पन्न न होकर उक्त दावे के नोटिस जबाबदार को मिलने पर वादकारण काउन्टर क्लेम बाबत् जबाबदार को उत्पन्न हुआ इसलिए काउन्टर क्लेम अन्दर मियाद पेश है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण मय अनुतोष निरस्त फरमाया जावे तथा काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 4 जबाबदार डिक्री फरमाया जाकर वादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह विवादित भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 1.19 है0, खसरा नम्बर 27/342 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम महूखुर्द में जबाबदार प्रतिवादी संख्या 4 को उसके कब्जे काश्त व उपयोग व उपभोग में बाधा [illegible] न तो स्वयं करे ना ही किसी दीगर से करावे। विवादित भूमि बाबत विचाराधीन अपीलों के निर्णयों से पूर्व जबाबदार को भूमि से बेदखल नहीं करे। [illegible] मुकदमा काउन्टर क्लेम जबाबदार को वादीगण से दिलाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 4 के काउन्टर क्लेम के जबाब में वादीगण ने अंकित किया है कि माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.8.2023 के सम्बन्ध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
(राज0)

गलत कथन किए गए हैं। पूर्व में विचाराधीन मुकदमा संख्या 490/97 व 234/85 को माननीय न्यायालय द्वारा कन्सोलीडेट कर दिनांक 16.8.2023 को बरूए राजीनामा निर्णित किया है। उपरोक्त प्रकरण में पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से दिनांक 1.2.2021 को राजीनामा किया था। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को निर्णित करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष ही उक्त निर्णय को विवादित बताना पूर्णरूप से विधिक सिद्धान्तों के विपरीत है। वादीगण ने कोई भूमि भूमाफियाओं को विक्रय नहीं की है एवं वादीगण प्रतिवादीगण को उनके हिस्से से महरूम भी करना नहीं चाहते हैं। वादीगण ने विधिअनुसार भूमि के विभाजन का दावा प्रस्तुत किया हैं। प्रतिवादी संख्या 4 गलत प्रकार से प्रकरण को विलम्बित करना चाहता है। प्रतिवादी संख्या 4 वादीगण के विरूद्ध कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी ने स्थाई निषेधाज्ञा की जो रिलीफ दौराने अपील चाही है वह अपनी अपील में प्राप्त करने का आवेदन कर सकता है, हस्तगत प्रकरण में उक्त रिलीफ प्राप्त करने का प्रतिवादी संख्या 4 कोई अधिकारी नहीं है। वैसे भी उक्त रिलीफ अपील की रिलीफ है, दावे की रिलीफ नहीं है। प्रतिवादी को कोई वादकारण काउन्टर क्लेम बाबत् पैदा नहीं हुआ है। विशेष विवरण में वादीगण ने अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जो काउन्टर क्लेम वादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है वह माननीय न्यायालय में संचलित योग्य नहीं है। माननीय न्यायालय दिनांक 16.8.2023 को अपना विस्तृत निर्णय पारित कर चुकी है तथा प्रतिवादी ने राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के यहां अपील प्रस्तुत कर रखी है जिसमें प्रतिवादी ने हस्तगत काउन्टर क्लेम की रिलीफ भी ली गई है। माननीय न्यायालय अपने निर्णय के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है तथा हस्तगत काउन्टर क्लेम कोई रिव्यू प्रार्थना पत्र नहीं है। केवल मात्र अपील कर देने से वादीगण के विधिक अधिकारों को प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकता है। प्रतिवादी अनावश्यक प्रकार से प्रकरण की कार्यवाही को विलम्बित करना चाह रहा हैं। इसी साजिश के तहत प्रतिवादी ने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है। विधिक व तथ्यात्मक भूल से वादीगण का दावा इसी स्टेज पर प्रीलीमनरी रूप से डिक्री किए जाने योग्य है एवं प्रकरण में बंटवारा स्कीम मंगाई जानी न्यायोचित है। अतः जबाबुल जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 4 का काउन्टर क्लेम मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा वादीगण का दावा मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 19 ग्राम महूखुर्द, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 तथा प्रतिवादी संख्या 4 की ओर अपने जवाब एवं काउन्टर क्लेम के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है।

हस्तगत वादपत्र में दिनांक 11.3.2025 को वादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत् मंगाए जाने बंटवारा स्कीम प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में वादीगण ने अंकित किया है कि हस्तगत प्रकरण वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 27 रकबा 1.19 है0, ख0नं0 27/342 रकबा 0.01 है0 गै0मु0चाह स्थित ग्राम महूखुर्द तहसील गंगापुर सिटी में पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रतिवादीगण की ओर से जबाब प्रस्तुत कर विधि विरूद्ध रूप से काउन्टर क्लेम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रतिवादीगण ने मुख्य रूप से यह तथ्य अंकित किया है कि माननीय न्यायालय के पूर्व निर्णय दि0 16.8.23 के सम्बन्ध में राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां अपील लम्बित है, अपील लम्बित रहते हुए विभाजन नहीं किया जा सकता है। कानूनी रूप से माननीय न्यायालय को अपने ही निर्णय दिनांक 16.8.2023 के विरूद्ध प्रतिवादीगण का उपरोक्त कथन विधि विरूद्ध है। माननीय न्यायालय अपने निर्णय को स्वयं अपास्त नहीं कर सकता है तथा केवल मात्र अपील कर देने से वादीगण को अपने विधिक अधिकार प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकता है। प्रतिवादीगण की उपरोक्त अपील में किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश भी नहीं है तथा प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हिस्सों को गलत होने बाबत् कोई काउन्टर क्लेम भी नहीं लिया है केवल स्थाई निषेधाज्ञा का काउन्टर क्लेम लिया है जो विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है। वादीगण का विभाजन का दावा केवल अपील कर देने से किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता है। विभाजन का अधिकार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत दिए गए अधिकारो में से खातेदार का एक मूल अधिकार है जिसको प्राप्त करने से खातेदार को नहीं रोका जा सकता है। वादीगण व प्रतिवादीगण के कथनों के आधार पर उक्त प्रकरण में वादीगण का विभाजन का दावा प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर उक्त प्रकरण में विभाजन स्कीम मंगवाया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का दावा प्रारम्भिक रूप से डिक्री फरमाया जाकर उक्त प्रकरण में विभाजन स्कीम मंगवाई जावे।

इस प्रार्थना पत्र के जबाब में प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने अंकित किया है कि वादीगण द्वारा गलत तरीके से न्यायालय से तथ्यों को छिपाकर फर्जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजों की आड में दावा डिक्री करवा लिया है जिसके सम्बन्ध में अपील विचाराधीन है। वादीगण उक्त डिक्री की आड में विभाजन करवा कर भूमि को रहन, बय करने पर आमादा है। उक्त भूमि गंगापुर सिटी शहर के मध्य स्थित होने व भूमि की कीमत करोडों रूपये होने के कारण वादीगण ने गंगापुर भूमाफिया से सहयोग किया हुआ है एवं वे भूमि का आनन फानन में विभाजन करवाने व बेचान करने पर आमादा है। वादीगण के दावे का जबाब व काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत किया है एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत होने पर उभयपक्षों के अभिवचनों के अनुसार विवाद्यक कायम किए जावेंगे व उसके पश्चात् उभयपक्षों की साक्ष्य लिए जाने के बाद दावा मेरिट पर निर्णित किया जावेगा। वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया है कि उन्होने यह प्रार्थना पत्र किन प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया है। विभाजन स्कीम मंगवाए जाने का प्रावधान तभी है जब उभयपक्ष विभाजन स्कीम मंगवाए जाने पर सहमत हों। यदि किन्हीं पक्षकारों में विभाजन व कब्जे व हिस्से को लेकर विवाद है तो उनके विवाद पर विवाद्यक कायम किए जाने के उपरान्त ही दावे का निस्तारण किया जावेगा। वादग्रस्त भूमि ो वादीगण का कोई वास्ता नहीं है ना ही उक्त भूमि पर वादीगण का कभी कोई कब्जा रहा है। आलोच्य आदेश की पालना में आनन फानन में उक्त इन्द्राज वादीगण के हक में किए गए हैं जिनका फायदा उठाकर वादीगण भूमि का विभाजन करवाकर बेचान करने पर आमादा है। अपील भी दावे का हिस्सा मानी जाती है। यदि सक्षम न्यायालय में अपील विचाराधीन है व उभयपक्षों में उक्त आदेश बाबत् कोई विवाद है तो उनको साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना आवश्यक है ताकि वादों की बहुलता से बचा जा सके। अतः प्रार्थना पत्र वादीगण खारिज किए जाने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.3.2025 का जबाब प्रस्तुत किया है जिसमें अंकित किया गया है कि [illegible] के सम्बन्ध में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.8.2023 के विरुद्ध अ[illegible]यालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहां [illegible] बावजूद वादीगण जल्दबाजी करके विवादित भूमि का विभाजन [illegible] कर भूमि को खुर्दबुर्द करना चाहते हैं इसलिए उन्होने विभाजन स्कीम मंगवाने का अनुतोष चाहा है। वादीगण कानून को ताक पर रखकर अवैधानिक रूप से न्यायालय से येनकेन प्रकारेण भूमि के विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करवाना चाहते हैं।यदि वादीगण को न्यायालय में विश्वास नहीं है तो उन्हें विभाजन का दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं थी, सीधे ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विभाजन करवा सकते थे। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का प्रतिवादी की ओर से जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा चुका है । जहां तक वादीगण का यह कथन है कि काउन्टर क्लेम केवल स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है तथा रिकार्ड में दर्ज अपने हिस्से को गलत होने बाबत नहीं किया है तो जबाबदार अपने अधिकारों के लिए स्वयं सजग है तथा न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.8.2023 की अपील इन्हीं आधारों पर की गई है। जहां मामला सब ज्यूडिश हो वहां अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि में अवैधानिक प्रार्थना पत्रों के आधार पर कोई आदेश दिया जाना विधि विरूद्ध है । इसलिए प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों पर विधि विरूद्ध होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 1.4.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 विकास गुप्ता की ओर से उनके अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी ने अंकित किया है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वादी के दावे को नकारते हुए काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है। इस कारण वादी के दावे के अभिवचनों व जबाबदार के काउन्टरक्लेम के अभिवचनों के अनुसार उक्त प्रकरण में विवाद्यक कायम किए जावें ताकि प्रार्थी को न्याय प्राप्त हो सके व वादों की बहुलता से बचा जा सके। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्तानुसार प्रकरण में विवाद्यक (तनकी) कायम की जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र का वादीगण की ओर से पृथक से कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं वादीगण के अभिभाषक ने इस प्रार्थना पत्र पर एवं उनकी ओर से दिनांक 11.3.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् विभाजन स्कीम मंगवाए जाने पर एक साथ बहस सुनने का निवेदन किया गया।

वादीगण की ओर से दिनांक 11.3.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दिनांक 1.4.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषगण की बहस सुनी जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करते हुए दिनांक 28.4.2025 को प्रकरण प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:04 IST
Reason: Self Attested

अधिकारी

तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से पत्र क्रमांक विभाजन स्कीम/2025/68 दिनांक 14.5.2025 के साथ विभाजन स्कीम प्राप्त हुई।

विभाजन स्कीम पर प्रतिवादी मनीष कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी दयाल नगर हाल वासी जयपुर ने आपत्ति प्रस्तुत की। अपनी आपत्ति में प्रतिवादी ने अंकित किया है कि विभाजन स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा जो विभाजन स्कीम तैयार की गई है वह प्रतिवादी सं0 4 की गैरमौजूदगी में बिना कोई सूचना या नोटिस दिए स्कीम तैयार की गई है जो विधि विरूद्ध होने के कारण विभाजन स्कीम निरस्त होने योग्य है। तहसीलदार द्वारा जो विभाजन स्कीम तैयार की गई है वह वादीगण के कहे अनुसार तैयार की गई है । प्रार्थी के कब्जे की भूमि को गलत रूप से वादी को दी गई है जिसके बाबत् स्कीम तैयार करते समय प्रतिवादी को कोई सूचना नहीं दी गई। विभाजन स्कीम मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्रार्थी के कब्जे को अनदेखी की तैयार की गई है जो विधि विरूद्ध होने के कारण विभाजन स्कीम निरस्त होने योग्य है। उपरोक्त विभाजन स्कीम तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर स्वयं तैयार न करके अपने अधीनस्थ से तैयार करवाई है जो विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा भिजवाई गई विभाजन स्कीम निरस्त की जाकर पुनः कब्जे को ध्यान में रखते हुए विभाजन स्कीम मंगवाई जावे।

इस आपत्ति प्रार्थना पत्र का वादीगण की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं वादीगण के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र पर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया।

प्रतिवादी मनीष कुमार द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रतिवादी मनीष कुमार के विद्वान अभिभाषक ने अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा विभाजन स्कीम स्वयं मौके पर नहीं जाकर अपने कर्मचारियों को भिजवा कर तैयार करवाई गई है, विभाजन स्कीम तैयार करने हेतु मौके पर आने बाबत् प्रतिवादी को कोई सूचना नहीं दी गई है एवं विभाजन स्कीम प्रतिवादी की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। विभाजन स्कीम तैयार करते समय प्रतिवादी के कब्जे को ध्यान में नहीं रखा गया है एवं मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन स्कीम तैयार नहीं की गई है। इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत विभाजन स्कीम विधि विरूद्ध है, विभाजन स्कीम निरस्त की जाकर प्रतिवादी के कब्जे को ध्यान में रखते हुए पुनः विभाजन स्कीम मंगवाई जावे।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने आपत्ति प्रार्थना पत्र पर अपनी बहस में कहा कि तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा स्वयं मौके पर जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में विभाजन स्कीम तैयार की गई है जिसका उल्लेख विभाजन स्कीम में तहसीलदार द्वारा किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी का स्पेसीफिक रूप से भूमि पर कब्जा होने का कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं तहसीलदार द्वारा मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन स्कीम तैयार की गई है जो विभाजन स्कीम के अवलोकन से विदित है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निराधार है जो खारिज की जावे एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का पक्षकारों के मध्य विभाजन करने का आदेश प्रदान किया जावे।

आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। आपत्ति प्रार्थना पत्र का एवं विभाजन स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 मनीषकुमार की विभाजन स्कीम पर आपत्ति है कि तहसीलदार ने स्वयं मौके पर जाकर विभाजन स्कीम तैयार नहीं की है, विभाजन स्कीम तैयार करने हेतु प्रतिवादी को सूचना नहीं दी है, विभाजन स्कीम में प्रतिवादी के कब्जे को ध्यान में नहीं रखा गया है एवं विभाजन स्कीम मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से तैयार नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस विभाजन स्कीम में तहसीलदार गंगापुर सिटी ने यह अंकित किया है–

"मैं बृजेश सहेरा तहसीलदार गंगापुर सिटी न्यायालय सहायक कलेक्टर/ उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के आदेश क्रमांक 1997 दिनांक 24.4.2025 की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 5.5.25 को आराजी ख0नं0 27 रकबा 1.19 है0 व ख0नं0 27/342 रकबा 0.01 है0 खाता सं0 19 वाके ग्राम म[illegible] [illegible]कलां व भू–अभि निरीक्षक गंगापुर सिटी के साथ मौके पर [illegible] मौके पर वादी व प्रतिवादियों की उपस्थिति में विभा[illegible] [illegible] गया जो निम्न प्रकार है।"

विभाजन स्कीम में तहसीलदार गंगापुर सि[illegible] द्वारा लिखित उपरोक्त इबारत से स्पष्ट है कि तहसीलदार गंगापुर सिटी ने स्वयं मौके पर जाकर वादी व प्रतिवादियों की उपस्थिति में विभाजन स्कीम तैयार की है। जहां तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]धिकारी
(राज0)

प्रतिवादी की इस आपत्ति का प्रश्न है कि उसके कब्जे को ध्यान में नहीं रखा गया है व मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन स्कीम तैयार नहीं की गई है तो इस सम्बन्ध में पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादी ने उपलब्ध नहीं कराया है कि उसका वादग्रस्त भूमि के किसी विशेष चिन्हित स्थान पर कब्जा रहा हो इसलिए प्रतिवादी की यह आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। इसके अलावा विभाजन स्कीम के साथ संलग्न नजरी नक्शा ट्रेस के अवलोकन से विदित है कि प्रतिवादीगण को उनका हिस्सा मुख्य सडक पर एवं बगल के रास्ते पर अर्थात दो रास्तों पर दिया गया है जो निश्चय ही मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर दिया गया है। इसलिए प्रतिवादी की मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन स्कीम नहीं बनाने की आपत्ति भी निराधार है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 मनीष कुमार द्वारा विभाजन स्कीम पर प्रस्तुत की गई आपत्ति पूर्णतया निराधार है फलस्वरूप प्रस्तुत आपत्ति खारिज की जाती है एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम स्वीकार की जाकर पक्षकारों के मध्य भूमि ख0नं0 27 रकबा 1.19 है0, ख0नं0 27/342 रकबा 0.01 है0 गै0मु0चाह ग्राम महूखुर्द तहसील गंगापुर सिटी का विभाजन किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:—

1. पक्षकारान 1. विकास गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश, महाजन निवासी दयाल नगर,एम0बी0एम0 स्कूल के पास, गंगापुर सिटी हिस्सा 1/5
   2. मनीष कुमार पुत्र ओमप्रकाश, महाजन निवासी दयाल नगर, गंगापुर सिटी हिस्सा 1/5
   3. पूजा गुप्ता पुत्री ओमप्रकाश पत्नि पियुष सिंघल, महाजन निवासी दयाल नगर, गंगापुर सिटी हिस्सा 1/5
   4. लक्ष्मी गोयल पुत्री ओमप्रकाश पत्नि गि[illegible] प्रसाद गोयल, महाजन निवासी दयाल नगर, गंगापुर सिटी हिस्सा 1/5
   5. पूजा गुप्ता पुत्री ओमप्रकाश पत्नि पियुष सिंघल, महाजन निवासी दयाल नगर, गंगापुर सिटी हिस्सा 1/5

की खातेदारी में भूमि ख0नं0 27/1 रकबा 0.0450 है0 ग्राम महूखुर्द रहेगी।

2. पक्षकारान 1. अमित मंगल पुत्र गिरधारीलाल, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी हिस्सा 357/7600

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested

2. अशोक कुमार मंगल पुत्र गिरधारीलाल, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी हिस्सा 357 / 7600
3. आशीषकुमार पुत्र जगदीश प्रसाद अग्रवाल,महाजन नि0मूर्तिमोहल्ला गंगापुर सिटी हिस्सा 357 / 7600
4. गोपाल लाल अग्रवाल पुत्र मुरारीलाल, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी हिस्सा 313 / 4560
5. त्रिलोकचन्द पुत्र मुरारीलाल, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुरसिटी हिस्सा 313 / 4560
6. पुरूषोत्तम पुत्र बद्रीप्रसाद, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी हिस्सा 471 / 7600
7. भगवान सहाय पुत्र बद्रीप्रसाद, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी हिस्सा 471 / 7600
8. मणीशंकर पुत्र हाबूलाल, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी हिस्सा 357 / 7600
9. मनोज कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी हिस्सा 357 / 7600
10.मोहनलाल पुत्र घूडमल, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी हिस्सा 357 / 7600
11.राजेश कुमार अग्रवाल पुत्र रामसहाय, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी हिस्सा 433 / 7600
12.विष्णु कुमार पुत्र मुरारीलाल, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी हिस्सा 313 / 4560
13.शिवकुमार पुत्र जगदीश प्रसाद अग्रवाल,महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी हिस्सा 357 / 7600
14.संजय अग्रवाल पुत्र रामसहाय, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी हिस्सा 433 / 7600
15.सुनील कुमार उर्फ अनिल कुमार मंगल पुत्र गिरधारीलाल, महाजन निवासी मूर्ति मोहल्ला, गंगापुर सिटी हिस्सा 357 / 7600
16.सीताराम पुत्र बदरीप्रसाद, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी हिस्सा 471 / 7600
17.मुकेश पुत्र छाजूलाल, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी हिस्सा 3 / 76
18.वासुदेव पुत्र छाजूलाल, महाजन नि0 मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी हिस्सा 3 / 76

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested

19.शिम्भूदयाल पुत्र छाजूलाल,महाजन नि0मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी
हिस्सा 3 / 76

की खातेदारी में भूमि ख0नं0 27 / 2 रकबा 1.1450 है0, ख0नं0 27 / 342 रकबा 0.0100 है0 ग्राम महूखुर्द रहेगी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारों के खाते अलग अलग कायम किए जाकर अलग अलग लगान निर्धारित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.5.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested